

राजस्थान सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग
अम्बेडकर भवन, जी-३/१, राजमहल रेजीडेंसी एरिया,
राजमहल पैलेस के पीछे, जयपुर-३०२००५

क्रमांक:- एफ1(3)(59)/स्था/सान्याअवि/21/५८१८३ जयपुर, दिनांक:- ०५-१०-२१
कार्यालय आदेश

सुश्री रिया सैन, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, अलवर द्वारा जिला कार्यालय अलवर में पदस्थापन के दौरान प्रेषित किये जाने वाले विभागीय आवश्यक पत्रों/बैंक चैकों को ना भेजकर अपने पास रखने तथा स्वेच्छा से अनुपस्थित रहने के संबंध में इनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है।

अतः राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुश्री रिया सैन, कनिष्ठ सहायक को तुरन्त प्रभाव से निलंबित किया जाता है। इनका निलम्बन काल में मुख्यावास निदेशालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर में रहेगा तथा निलम्बन काल में नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

यह आदेश तुरन्त प्रभावशील होगा।

३
(ओ.पी. बुनकर)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:- एफ1(3)(59)/स्था/सान्याअवि./21/५८१८४-९४ जयपुर, दिनांक:- ०५-१०-२१

- विशिष्ट सहायक, माननीय राज्य मंत्री महोदय, सान्याअवि, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, सान्याअवि, राजस्थान जयपुर।
- निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव, सान्याअवि, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सहायक, अतिरिक्त निदेशक (सत. एवं प्रशा.), सान्याअवि, राजस्थान, जयपुर।
- निजी सहायक, उप निदेशक (कार्यप्रशा.), सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- सहायक निदेशक सान्याअवि अलवर को भेजकर लेख है कि सुश्री रिया सैन, कनिष्ठ सहायक के विरुद्ध आरोप पत्र, विवरण पत्र मय युक्तिसंगत दस्तावेजों के साथ प्रपत्र अ, ब, स, द भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- सुश्री रिया सैन, कनिष्ठ सहायक, कार्यालय सहायक निदेशक सान्याअवि, अलवर।
- सहायक लेखाधिकारी (भुगतान), मुख्यावास।
- प्रभारी, जांच प्रशाखा।
- आदेश पत्रावली

उमद सिंह

अति. निदेशक (सत. एवं प्रशा.)